बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक–02.01.2015 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

आज दिनांक–02.01.2015 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी। आज की बैठक में अध्यक्ष, भूदान यज्ञ समिति, श्री शूभमूर्ति जी भी उपस्थित थे।

1. **अभियान दखल–देहानी** :– प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अभियान दखल–देहानी हेतु विशेष शिविर पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। प्रधान सचिव द्वारा कहा गया है कि वैसे मामले जिनमें एक ही जमीन कई लोगों को विभिनन श्रोतों से बन्दोबस्त हो गया है और उसमें से किसी एक का ही उस जमीन पर दखल कब्जा है, को चिन्हित कर और इस तरह के विवादास्पद मुद्दे का प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, विभाग को उपलब्ध करायेंगे ताकि ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श प्राप्त कर निर्णय लिया जा सके।

ऑपरेशन दखल–देहानी के व्यापक प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में कुछ अपर समाहर्त्ताओं के द्वारा बताया गया कि समाचार पत्र के माध्यम से, माईक के द्वारा, पम्पलेट छपाकर जगह–जगह चिपका कर, अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी रख कर, विकास मित्रों के द्वारा एवं डुगडुगी बजाकर कराया जा रहा है। प्रधान सचिव के द्वारा कहा गया कि आवश्यकता हो तो इस कार्य हेतु विभाग को राशि आवंटित करने का अनुरोध करें ताकि राशि आवंटन किया जा सके।

प्रधान सचिव के द्वारा अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि शिविरों की मॉनिटरिंग दूरभाष के साथ ही एस0एम0एस0 के द्वारा भी किया जाय एवं जिलों में होने वाली बैठकों में यथासम्भव विभागीय पदाधिकारी भी भाग लेने हेतु जायेंगे। विभागीय पदाधिकारी को भी निदेश दिया कि जिन–जिन जिलों का कार्य प्रगति पर नहीं है, उन जिलों के समाहर्त्ताओं को कार्य में प्रगति लाने के सम्बन्ध में अर्द्ध सरकारी पत्र भेजे एंव उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित आयक्त को भी दें।

(कार्रवाई–प्र0पदा0 7/8 एवं सभी जिला)

2. अभियान बसेरा :– इस सम्बन्ध में प्रधान सचिव द्वारा विशेष शिविर का प्रावधान किये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी अपर समाहर्त्ताओं को यह भी निदेशित किया गया कि जिस तरह विभाग के द्वारा प्रत्येक जिलों की समीक्षा प्रत्येक माह की जा रही है, ठीक इसी प्रकार जिलों के द्वारा भी अंचलवार समीक्षा किया जाय, क्योंकि जब तक प्रत्येक जिलों के द्वारा अंचलवार समीक्षा नहीं की जायेगी तब तक कार्य में प्रगति नहीं हो पायेगी।

प्रधान सचिव के द्वारा विभागीय पदाधिकारी को भी निदेश दिया गया कि जहाँ पर अचंल अधिकारी पदस्थापित नहीं है, वैसे जगहों पर अंचल अधिकारी के कार्यों का प्रभार जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिये जाने एवं इसी प्रकार जहाँ एल0आर0डी0सी0 नहीं है, वहाँ पर उनके स्थान पर अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रभार दिये जाने की शक्ति प्रत्यायोजित करने सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

अपर समाहर्त्ताआकं के द्वारा कहा गया कि गैर मजरूआ आम की बन्दोबस्ती हेतु ग्राम सभा के द्वारा समय पर अनुशंसा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण भी बन्दोबस्ती में समय लग रहा है। अतः ग्राम सभा के लिए समय–सीमा तय किये जाने की आवश्यकता है। इस पर प्रधान सचिव के द्वारा अभियान बसेरा (वासभूमि के लिए) आम जमीन की बन्दोबस्ती का अधिकार जिला पदाधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के साथ जमीन की प्रकृति बदलने पर क्या हो, इसके लिए भी निर्णय लेने हेतु संचिका उपस्थापित किये जाने का निदेश विभागीय पदाधिकारी को दिया गया।

अभियान बसेरा नयी नीति के अनुसार पहले कार्य करना है, सर्वेक्षण करना है। नयी नीति के आलोक में सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाना है कि शहरी क्षेत्रों में कितनी जमीन उपलब्ध है और जो इस नीति के अन्तर्गत बेदखल हो गये हैं, उनकी संख्या कितनी है। शहरी क्षेत्र में जो जमीन हो सकता है, वहाँ गैर मजरूआ आम/खास अथवा कैसरे हिन्द की जमीन हो सकता है। इस सभी जमीनों को चिन्हित करने की आवश्यकता पर प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को सूचित किया गया कि यदि पाँच डीसमिल जमीन एवं सर्वेक्षण कराने के लिए अगर किसी जिलें की राशि की आवश्यता हो तो वे अविलम्ब पत्र के द्वारा राशि की मौंग करें ताकि विभाग के द्वारा राशि उपलब्ध करायी जा सके। प्रधान सचिव के द्वारा विभागीय पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि नयी नीति की प्रति सभी विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद् के सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय। इसके साथ

ही साथ इस नीति के व्यापक प्रचार के लिए अखबार में विज्ञापन देने हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को उक्त नीति की एक प्रति भेज दिया जाय, क्योंकि यह भी अभियान बसेरा का हिस्सा होगा। इस नीति के आलोक में पहला कार्य शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराकर यह ज्ञात करना है कि कितनी जमीन है, उसका आँकड़ा तैयार करना है। दूसरा कार्य यह है कि शहरी बी0पी0एल. के जो लोग है, वे किस–किस जमीन पर बसे हुये है, उसकी सूची तैयार करना है।

(कार्रवाई प्र0 पदा0–7 एवं सभी जिला)

3. **भूदान** :– कुछ अपर समाहर्त्ताओं के द्वारा यह भी बताया गया कि उनके जिले में पदस्थापित जिला भूदान मंत्री, द्वारा कार्य करने में रूचि नहीं दिखाया जा रहा है। इस पर प्रधान सचिव के द्वारा भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष से आग्रह किया गया कि वैसे सभी जिला भूदान मंत्रियों को हटाकर अविलम्ब किसी दूसरे को जिला भूदान मंत्री बनाया जाय। इसके साथ ही प्रधान सचिव के द्वारा भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष महोदय से यह भी आग्रह किया गया कि वे अपने स्तर पर भी सूची अविलम्ब अपर समाहर्त्ताओं को देने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश दें, क्योंकि जिला भूदान मंत्रियों के द्वारा अपर समाहर्त्ताओं को मात्र संख्या ही उपलब्ध कराया जा रहा है। सूची नहीं उपलब्ध करायी जा रही है।

(कार्रवाई प्र0 पदा0–7 एवं सभी जिला)

4. **राजस्व शिविर न्यायालय प्रतिवेदन एवं डी0सी0एल0आर0 कोर्ट** :– राजस्व शिविर न्यायालय से सम्बन्धित प्रतिवेदन कुछ जिलों के द्वारा अपडेट नहीं किया जा रहा है जिसके कारण आँकड़ों में भिन्नता पायी जा रही है। जिन जिलों के द्वारा रिपोर्ट ऑनलाईन नहीं किया गया है, उन जिलों के द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट तैयार है सोमवार से मंगलवार तक इसे अपलोड कर दिया जायेगा।

इसी प्रकार डी0सी0एल0आर0 कोर्ट से सम्बन्धित प्रतिवेदन भी पाँच जिलों के द्वारा ऑनलाईन नहीं किया गया है। अतः उन्हें निदेश दिया गया कि अविलम्ब रिपोर्ट को ऑनलाईन कश दें।

(कार्रवाई प्र0 पदा0–11 एवं सभी जिला)

5. **विधान मंडलीय कार्य** :– सभी अपर समाहर्त्ताओं के द्वारा पूर्व की बैठकों में कहा जाता था कि उन्हें आश्वासन एवं निवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्तर भेजे जाने में

कठिनाई थी। इसका निराकरण करते हुए सभी अपर समाहर्त्ताओं को आश्वासन एवं निवेदन की प्रति आज की बैठक में उपलब्ध करा दी गयी है।

आश्वासन एवं निवेदन के सम्बन्ध में प्रधान सचिव द्वारा सभी जिलों को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी जिलें अपने यहाँ लम्बित आश्वासन एवं निवेदन का उत्तर अवश्य विभाग को उपलब्ध कराने सुनिश्चित करेंगे। किसी भी कारण आधे–अधूरे उत्तर स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

प्रधान सचिव द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विधान सभा/विधान परिषद् से प्राप्त होने वाले सभी प्रश्नों, आश्वासनों एवं निवेदनों का उत्तर सभी प्रशाखाओं के द्वारा तैयार कर विभागीय प्रशाखा–10 को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे विभागीय प्रशाखा–10 के द्वारा ही एकत्रित करके विधान सभा सचिवालय एवं विधान परिषद् को भेजा जायेगा, न कि सभी प्रशाखाओं के द्वारा अलग–अलग विधान–सभा सचिवालय एवं विधान परिषद् को भेजा जायेगा। पुनः सभी अपर समाहर्त्ताओं को विधान सभा/विधान परिषद् के लम्बित प्रश्न/आश्वासन/निवेदन तथा विधान सभा के शून्यकाल के लम्बित मामलों का निपटारा शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई विभाग एवं सभी जिला)

6. लोक लेखा समिति :– लोक लेखा समिति की अगली बैठक दिनांक–16.01.2015 को होनेवाली है। उक्त बैठक से पूर्व लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या–467 के कंडिका संख्या–4.1.6. प्रतिवेदन सं0–468 के कंडिका सं0–4.3.6, प्रतिवेदन सं0–472 के कंडिका सं0–4.1.2 एवं प्रतिवेदन सं0–499 के कंडिका सं0–3.1.1 के सम्बन्ध में दिनांक–09.01.2015 को अपराह्न 1.00 बजे सम्बन्धित जिलों के प्रतिनिधियों को अनुपालन प्रतिवेदन के साथ विचार–विमर्श हेतु विभाग में उपस्थित होने का निदेश दिया गया, ताकि लोक–लेखा समिति के द्वारा उठाये गये आपत्तियों का निराकरण करते हुए संतोषप्रद उत्तर दिया जा सके। इसके साथ ही साथ लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या–499 के कंडिका सं0–4.8 के सम्बन्ध में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि गैरमजरूआ/आम/खास भूमि जो बन्दोबस्ती लायक है उसका सेटलमेन्ट नहीं होने के कारण क्या है और अगर अतिक्रमण में है तो विभाग उस जमीन को विधिसम्मत अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में कार्रवाई करने हेतु सम्बन्धित जिलों को पत्र भेजे।

(कार्रवाई प्र0 पदा0–13 एवं सभी जिला)

7. सेवान्त लाभ :– प्रधान सचिव के द्वारा राजस्व कर्मचारी की शीघ्र नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक कराने हेतु भी संचिका उपस्थापित किये जाने का निदेश विभागीय पदाधिकारी को दिया गया। उक्त बैठक में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अध्यक्ष/सचिव, बिहासर कर्मचारी चयन आयोग को भी उपस्थित रहने हेतु मुख्य सचिव से आग्रह करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई प्र0 पदा0–4)

8. भू–अभिलेख एवं परिमाप :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बैठक में बताया गया कि दिनांक–24.11.2014 को निदेशालय द्वारा एक पत्र सभी को भेजा गया है। अगर किन्हीं को उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, इसे विभागीय बेससाईट से निकाल सकते हैं। जिसे भरकर अविलमब प्रतिवेदन निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें। भवन से सम्बन्धित प्रतिवेदन छः जिलों से अप्राप्त है। इसके साथ ही साथ प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिसका कम्प्यूटराईजेशन हो रहा है, उस अभिलेख को छोड़कर सभी अभिलेखों का छायाप्रति कराया जाना है। अगर उक्त कार्य के लिए किन्हीं को आवंटन की आवश्यकता हो तो अनुमानित व्यय विवरणी निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ताकि सभी जिलों को राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जा सके।

(कार्रवाई भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–10/सम0अ0स0 (बैठक)कार्यवाही–43/2014 17 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–22-01-15

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/15

(उमेश सिंह)
सरकार के उप सचिव।